ऑन लाईन नं. GCMS 2021/68

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 24 / 2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल जाति अरोडा निवासी 7 विनाबा बस्ती, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– केसर बर्फी हाउस, 160 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

निदेशक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

दिनांक : 04.04.2022

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.11.2020 को दोपहर बाद 02.00 पी.एम. पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल जाति अरोड़ा निवासी 7 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर मैसर्स केसर बर्फी हाउस, 160 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल जाति अरोड़ा निवासी 7 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ निर्माण दुकान में **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** के कुल 36 किलो खाद्य पदार्थ के रूप में विकय कर रहा था , शुद्वता की जांच हेतु विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता दी और खरीद प्राप्ति की रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** के कुल 36 किलो में से 2 किलोग्राम खाद्व प्रदार्थ लिये लिये, जिसके पेटे 440/– रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** के कुल 2 किलोग्राम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खादर्य पदार्थ नमूनें वास्तें लिये, जिसकों हिला–मिलाकर एकरूप करके चार बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा प्रत्येक में 500–500 ग्राम भरकर परिरक्षक ब्वौर फोरमलिन की 40–40 बूंदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बंद करके प्रत्येक लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के–1128** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1128** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया।प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1128 ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता राजकुमार काठपाल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/302/एक्ट/2020/302 दिनांक 20.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अजीत राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल, मैसर्स केसर बर्फी हाउस, 160 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाव में कथन किया है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी अपनी स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करता है। अतः जुर्म की माफी प्रदान की जावें। प्रार्थी भविष्य में पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा। लिहाजा जवाब स्वीकार की जाकर जुर्म की माफी प्रदान की जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी वहस में वताया कि अभियुक्त से लिया गया **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाई** का सैम्पल **के–1128** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/302/एक्ट/2020/302 दिनांक 20.11.2020 द्वारा सब (Misbranded Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी अपनी स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करता है। अतः जुर्म की माफी प्रदान की जावें। प्रार्थी भविष्य में पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा। लिहाजा जवाब स्वीकार की जाकर जुर्म की माफी प्रदान की जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Doda Barfi Mithai" bearing Code No. and Sr. No. **K-1128** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(C)(i), of Food Safety and Standards Act-2006 की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल – फर्म केसर बर्फी हाउस, 160 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजकुमार काठपाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **ए.वन–अभी ब्राण्ड की डोडा बर्फी मिठाइ** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)